No.I.12013/14/2009-Org. 509
Directorate General, ITBP
(Ministry of Home Affairs)
Government of India,
Block No.2, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

Dated: 24 May, 2010

Memorandum

Subject : Notification of Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010.

A copy of Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010 after having been published in the Gazette of India, extraordinary vide GSR 323(E) dated 15/4/2010 is sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. It is, therefore, requested that a copy of above notification may please be sent to all Sector Hqrs, Units, Formations and Training Centres under your Ops/Administrative control.

Encl: As above.

21/5/10
(R.K. Sah)
Deputy Inspector General (Org.)

To,

1. Addl. DG (Medical), Referral Hospital, CPMF.
2. All IsG(Frontier HQrs), ITBP, IsG Training and (L&C) Zones.
3. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
4. DIG, CIJQ/NITSRDR/NTCD & A, ITB Police.
5. Commandants Base Hospital, New Delhi/Composite Hospital Chandigarh and Itanagar.

Internal:

1. Senior Administrative Officer (Pers-II), Dte. Genl, ITBP.
2. Dy. Inspector General (Trg.), Dte. Genl, ITBP.
3. Second-in-Command (IT), Dte. Genl with the request that Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010 may be uploaded in MHA/ITBP website.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2010/चैत्र 25, 1932

No. 194] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2010/CHAITRA 25, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 323(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (समूह 'ग' चिकित्सा काडर) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, हैड कांस्टेबल (सेविका), हैड कांस्टेबल (चिकित्सा और भंडार) और कांस्टेबल (मेडिक्स) के पदों पर भर्ती का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा कॉडर (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में यथाविनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में यथाविनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. हैड कांस्टेबल (सेविका)	88* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन बैंड– 1, 5200–20200 रू0, ग्रेड वेतन 2400 रू0	चयन	नही

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
18 से 25 वर्ष 1. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है 2. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्गों के कार्मिकों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु– सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की हो या समतुल्य। (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सहायक नर्सिंग प्रसूति विद्या पाठ्यक्रम। (3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की नर्सिंग परिषद् में रजिस्ट्रीकृत। (4) महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मान दंड: ऊंचाई : 150 से.मी. (न्यूनतम) भार – साधारण चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपात	लागू नही होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(5) चिकित्सा मानक : (i) दृष्टि : दोनों आंखों की न्यूनतम दूर की दृष्टि बिना सुधार अर्थात् बिना चश्मा लगाए 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों को अंतर्वक जानु, सपाट पांव, बढ़ी हुई पसली या वक्र दृष्टि से पीड़ित का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना होती हो। (6) शरीरिक दक्षता और लिखित परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।**
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :– (1) कमांडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नही होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल (चिकित्सा और भंडार)	282* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू0, ग्रेड वेतन 2400 रू0	चयन	नही	लागू नही होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन भी है)	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (मेडिक्स) जिन्होंने :– (i) बुनियादी चिकित्सा पाठ्यक्रम; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रम या चिकित्सा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या फार्मेसी में डिप्लोमा में अर्हता प्राप्त की है और जिन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल के रूप में पांच वर्ष की गई नियमित सेवा के साथ कांस्टेबल (मेडिक्स) के रूप में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों में समतुल्य या सदृश पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रोन्नति के लिए विहित अनुभव और अर्हता है। **टिप्पण 1.—** फीडर प्रवर्गों के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.—** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं यदि कोई हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— (1) कमांडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कांस्टेबल (मेडिक्स)	154* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड— 1, 5200—20200 रू0, ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	नहीं

13936/10-2.

(7)
18 से 23 वर्ष 1. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। 2. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो और विशेष प्रवर्गों के कार्मिकों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण.—** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य श्रेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
(1) **शैक्षिक अर्हताएं :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और (ii) एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के विस्तार के अधीन रहते हुए, परिवीक्षा अवधि के दौरान बुनियादी मेडिक्स पाठ्यक्रम अर्हित करना चाहिए। (2) **शारीरिक मान दंड :** ऊंचाई : पुरूषों के लिए 170 सें.मी. तथा स्त्रियों के लिए 150 से.मी. सीना : 80 से.मी. (पुरूषों के लिए फुलाने के पश्चात 85 से.मी.) स्त्रियों के लिए : लागू नहीं। भार–चिकित्सा मानदण्डों के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपात (पुरूषों तथा स्त्रियों के लिए) भार – चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपात (पुरूषों तथा स्त्रियों के लिए) **टिप्पण 1.—** न्यूनतम मानदंड, जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, इन मूल वंशों अर्थात् गढ़वाली, कुमाउनीं, गोरखाओं, डोगरों, मराठाओं, सिक्किमिओं, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी , पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों की बाबत पुरूषों के लिए 165 सें0मी0 तक शिथिल की जा सकती है।	लागू नही होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

टिप्पण 2.— न्यूनतम मानदंड, जहां तक इसका संबंध ऊंचाई से है, आदिवासियों या जनजातिओं के, जिसके अंतर्गत मिजो और नागा भी है, पुरूषों के लिए 162.5 सें.मी. तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 3.—** पुरूषों के लिए न्यूनतम मानदंड, जंहा तक इसका संबंध सीने के माप से है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बिना फुलाए कमशः 80 सें.मी. तक तथा फुलाकर 85 से.मी. से 78 से.मी. बिना फुलाए तथा 83 सें.मी. फुलाकर और आदिवासियों तथा जनजातियों के लिए बिना फुलाए 76 सें.मी. तथा फुलाकर 81 से.मी. तक शिथिल की जा सकती है। (3) **चिकित्सा मांनदण्ड :** (i) दृष्टि : बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आंखों की न्यूनतम दूर की दृष्टि 6/6 और 6/9 हो। (ii) अभ्यर्थियों को अंतर्वक जानु, सपाट पांव, बढ़ी हुई पसली या वक दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो। (4) शरीरिक दक्षता और लिखित परीक्षाओं में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।		

(11)	(12)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आमेलन द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में एक वर्ष सेवा की हो और बुनियादी चिकित्सा पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त हों।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :– (1) कमांडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नही होता।

[फा. सं. आई-12013/14/2009-संग.]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2010

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of Indo-Tibetan Border Police Force (Medical Cadre 'C' Posts) Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Constable (Midwife), Head Constable (Medical and Stores) and Constable (Medics) in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Cadre (Group 'C') Posts, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Medical Manual Volume-III, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment under the provisions of the rules.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Head Constable (Midwife)	88* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band- 1, Rs. 5200-20200, Grade Pay Rs. 2400	Selection

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service(Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(6)	(7)
No	Between 18 and 25 years. 1. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. 2. Relaxable upto five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

139361/10-3.

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(8)	(9)
(1) Passed Matriculation examination from a recognised Board or equivalent. (2) Auxiliary Nursing Midwifery Course from a recognised institution. (3) Registered in Nursing Council of Central Government or State Government. (4) Physical Standards for female candidates. Height- 150 Centimeters (Minimum) Weight- Proportionate to height and age as per General medical standards. (5) Medical Standards : (i) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses. (ii) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties. (6) Must qualify the physical efficiency and written tests.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(10)	(11)
Two years for direct recruits	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in the grade from which promotion or deputation or absorption is to be made
(12)
Not applicable

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Commandant or Chief Medical Officer (Selection Grade), Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Medical and Stores)	282* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band- 1, Rs. 5200-20200, Grade Pay Rs. 2400	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
No	Not applicable	Not Applicable	Not applicable

(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation (inclusive of deputation or re-employment of Armed Forces personnel)

(12)
By promotion: From amongst Constable (Medics) of the Indo-Tibetan Border Police Force who have qualified (i) Basic Medic Course (ii) Advance Medic Course or Medic Refresher Course or Diploma in Pharmacy from a recognised institution and have rendered five years regular service as Constable in the Indo-Tibetan Border Police Force with three years regular service as Constable (Medics). **Note.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

139391\10-4.

By deputation :
Persons holding equivalent or analogous post in the Central Government or State Government departments and having the requisite experience and qualifications prescribed for promotion.

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-servicemen Deputation or re-employment :
The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed, if any, shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : 1. Commandant or Chief Medical Officer (Selection Grade), Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (Medics)	154* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band- 1, Rs. 5200-20200, Grade Pay Rs. 2000	Not applicable

(6)	(7)
No.	Between 18 and 23 years. 1. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. 2. Relaxable upto five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(8)	(9)
(1) **Academic qualification:** (i) Passed Matriculation examination with science from a recognised Board or Institution; and (ii) Should qualify Basic Medics course during the probation period subject to extension of probation period by one year. (2) **Physical Standards :** Height: 170 cms for male and 150 cms for female. Chest: 80 cms (85 cms after expansion for male) For female: Not applicable. Weight: Proportionate to height and age as per medical standards (for male and female). **Note 1.**— The minimum standards so as it relates to height may be relaxed to 165 cms for male in respect of persons belonging to the races, namely, Garhwalies, Kumaunese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern States and States of Himachal Pradesh. **Note 2.**— The minimum standard so far it relates to height may be relax to 162.5 cms for males in respect of Adivasis or Tribals including Mizos and Nagas.	Not applicable

Note 3.— The minimum standard for male in so far as it relates to chest measurements may be relaxed from 80 cms unexpanded and 85 cms expanded to 78 cms unexpanded and 83 cms expanded to hill areas and 76 cms unexpended and 81 cms expanded respectively for Adivasis and Tribals.

(3) **Medical Standards:**

(i) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses.

(ii) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(4) Must qualify the physical efficiency and written tests.

(10)	(11)
Two years for direct recruits	By absorption failing which by direct recruitment

(12)

By absorption :

From amongst the Constable of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered one year service in the Indo-Tibetan Border Police Force and qualified Basic Medics Course.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. Commandant or Chief Medical Officer (Selection Grade), Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Senior Medical Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. I-12013/14/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.